17.06.19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी एवं सीमांकन करने हेतु प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की पुश्तैनी भूमि ग्राम लोलासनी तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 64 रकबा 12 बीघा व खसरा नं. 66/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा आई हुई है। उक्त खसरों की पत्थरगढी व सीमांकन नहीं होने से सह-खातेदारान द्वारा परेशान

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किया जा रहा है व प्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि में सह-खातेदारान दखलन्दाजी कर रहे हैं, अतः उक्त खसरों का सीमांकन व पत्थरगढ़ी करवाई जावे। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त खसरों के सह-खातेदार हैं जिनका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। विधि का यह सु-स्पष्ट सिद्धान्त है कि सह-खातेदार संयुक्त भूमि पर प्रत्येक इंच पर समान अधिकार रखते हैं अतः बिना विधिवत बंटवारा करवाए सह-खातेदारी भूमि पर पत्थरगढ़ी किया जाना विधिक रूप से संभव नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 17.06.19 को खुले इजलास सुनाया गया। [signature] सहायक ... अधिकारी ... राज.

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Parihar
Date: 2020.02.26 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: